अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

भूहदबंदी वाद सं0– 01/2003
सत्यदेव चौधरी एवं अन्य
बनाम
बिहार सरकार

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
15.09.2015	यह वाद सत्यदेव चौधरी एवं अन्य ,वल्द स्व0 सकलदीप चौधरी, साकिन अनवल, थना कोपा,जिला सारण के द्वारा दिए गए आवेदन दिनांक 30.06.03 के आलोक में आरंभ हुआ। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि भूहदबंदी वाद संख्या 01/75–76 में राधे चौधरी (गंगाजली देवी के पिता) एवं सकलदीप चौधरी (आवेदकों सत्यदेव चौधरी, कमलेश चौधरी, अवधेश चौधरी एवं अयोध्यानाथ चौधरी के पिता) दोनों के पिता स्व0 कुबेर चौधरी, साकिन अनवल, थाना कोपा,जिला सारण के द्वारा बिहार भूहदबंदी अधिनियम 1961 की धारा 22 के अंतर्गत आवेदन दिया गया। यह आवेदन खाता संख्या 114, खेसरा संख्या 1940 (रकबा 0–18–2), खेसरा संख्या 1397 (रकबा 0–7–3) को भू अर्जन की प्रकिया से मुक्त रखकर पर्चा निर्गत करने से संबंधित है। इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 27.04.1993 को सुनवाई के उपरांत उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया। इसके विरूद्व विद्वान आयुक्त,सारण प्रमंडल, छपरा के न्यायालय में अपील दाखिल किया गया, जिसे दिनांक 23.01.1996 को सुनवाई के उपरांत खारिज कर दिया गया। इसके विरूद्व माननीय राजस्व पर्षद,बिहार,पटना के यहां रिविजन संख्या 19/96 दाखिल किया गया, जिसे दिनांक 29.03.1997 को माननीय राजस्व पर्षद,बिहार,पटना के द्वारा स्वीकृत किया गया। इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 11.04.2005 को सुनवाई के उपरान्त दखल कब्जा के बिन्दु पर जिला विधि शाखा के ज्ञापांक 694, दिनांक 26.04.2005 से अंचल अधिकारी, जलालपुर से प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, जलालपुर के पत्रांक 461, दिनांक 10.12.2005 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि साकिन पियनों, थाना संख्या 200 के अंतर्गत खेसरा संख्या 1940,1397,1546 एवं 1796 सत्यदेव चौधरी,कमलेश चौधरी अवधेश चौधरी अयोध्यानाथ चौधरी एवं गंगाजली देवी	

पति रामबचन के दखल कब्जे में है, जिसे सभी सह-हिस्सेदार आपसी बंटवारा कर जोत आबाद करते है। गंगजली देवी स्वयं खेती न कराकर अपने उपरोक्त हिस्सेदारों से बटाई प्राप्त करती है। उक्त सभी खेसरा सीलिंग में अधिग्रहित है। खेसरा संख्या 1546 एवं 1397 की बन्दोबस्ती जगलाल बैठा एवं वीर बहादूर बैठा वल्दान हाकिम बैठा एवं मोहन बैठा वल्द राम किशुन बैठा के साथ पूर्व में ही की गई है।

दिनांक 15.09.2015 को आवेदक की हाजरी प्राप्त हुई। आवेदक अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि माननीय राजस्व पर्षद, बिहार,पटना के द्वारा अपने पारित आदेश दिनांक 29.03.1997 के कंडिका (2) में रिविजन वाद संख्या 19/96(राधे चौधरी एवं अन्य बनाम सरकार) मामले में आदेश पारित किया गया है- "The collector of the District is directed that the land in the Possession of the petitioners should be settled with them as raiyat u/s 22." आवेदकों के द्वारा मौजा पियनो, थाना संख्या 200, खाता संख्या 114, ,खेसरा संख्या 1940 (रकबा 0-18-2), खेसरा संख्या 1397 (रकबा 0-7-3) खेसरा संख्या 1796, (रकबा 0-12-2) एवं खेसरा संख्या 1546 (रकबा 1-18-4) पर 1945 से बटाईदार के रूप में अपना दावा किया गया है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा आगे बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय,पटना के द्वारा एक अन्य वाद झुलन यादव बनाम सरकार 1999(3) PLJR 405 में आदेश पारित किया गया कि बिहार भूहदबंदी अधिनियम 1961 की धारा 27 के अंतर्गत तब तक किसी को पर्चा नहीं दिया जा सकता है, जब तक इस अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत संबंधित भूमि से संबंधित कोई मामला विचाराधीन है। उल्लेखनीय है कि उक्त मामला के विचाराधीन रहते एवं प्रश्नगत भूमि पर आवेदक का कब्जा रहते हुए भी धारा 27 के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों को पर्चा निर्गत करने की कार्रवाई की गई है जो विधिसम्मत नहीं है एवं रदद् किए जाने योग्य है। धारा 27 के अंतर्गत पर्चा निर्गत करने के लिए यह भी आवयश्क है कि पर्चा उस गॉव के ही व्यक्ति को दिया जाना है, जबकि उक्त मामले में अन्य गॉव के व्यक्तियों को यह निर्गत किया गया है। यह बिन्दू भी निधारित प्रावधान के विरूद्ध है एवं निर्गत पर्चा रद्द किये जाने के योग्य है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा आगे बताया गया कि वर्ष 2003 में दिनांक 30.06.03 को आवेदन दाखिल करने के पूर्व राधे चौधरी एवं सकलदीप चौधरी दोनों पिता स्व0कुबैर चौधरी की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए सकलदीप चौधरी के वारीसान के द्वारा यह वाद दाखिल किया गया। बाद मे, राधे चौधरी की वारीसान उनकी एकमात्र पुत्री गंगजली देवी पति राम वचन भी इसमे शामिल हो गई। इससे संबंधित प्रतिवेदन संबंधित अंचल अधिकारी से प्राप्त है, जो अभिलेख पर है। अतः माननीय राजस्व पर्षद, बिहार पटना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.97 एवं अंचल अधिकारी जलालपुर के पत्रांक 761 दिनांक 10.12.05 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आलोक में सकलदीप चौधरी के वारीसान सत्यदेव चौधरी, कमलेश चौधरी,

अवधेश चौधरी एवं अयोध्या नाथ चौधरी को तथा राधे चौधरी के वारीसान गंगजली देवी पति राम वचन को उक्त खेसरा का रैयत घोषित करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि माननीय राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के द्वारा आवेदक राधे चौधरी एवं अन्य के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। यह सही है कि बिहार भूहदबंदी अधिनियम 1961 की धारा 27 के अंतर्गत तब तक किसी व्यक्ति को पर्चा नहीं निर्गत किया जा सकता है, जब तक धारा 22 के अंतर्गत किसी ऐसे व्यक्ति का आवेदन विचाराधीन हो, जिसका प्रश्नगत भूमि पर कब्जा हो। ऐसी परिस्थिति में, प्रश्नगत भूमि का पर्चा जिस व्यक्ति को निर्गत किया गया है, उसके निर्गत पर्चा को रदद् करके आवेदक राधे चौधरी एवं अन्य के वारीसान को उसका रैयत धोषित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु अपर समाहर्ता,सारण,छपरा को आदेशित किया जा सकता है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा आगे बताया गया कि **माननीय राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.1997 में उक्त चारों खेसरा में से केवल दो खेसरा 1940 एवं 1397 का उल्लेख करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अन्य दो खेसरा 1796 एवं 1546 के संबंध में कोई भी निर्देश अंकित नहीं है।**

विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि **आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 30.06.2003 एवं दिनांक 06.01.2010 को दाखिल संक्षिप्त लिखित बहस में अंकित भूमि संबंधी विवरणी में कई भिन्नता नजर आ रही हैं। खाता संख्या 114 की जगह 144 अंकित है, जिसे बाद में उनके द्वारा सुधार दिया गया है। इसी प्रकार, खेसरा संख्या 1546 के रकबा में 1-18-4 की जगह 0-12-2 एवं खेसरा संख्या 1796 के रकबा में 0-12-2 की जगह 1-18-4 अंकित किया गया है।**

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि माननीय राजस्व पर्षद,बिहार,पटना के वाद संख्या 19/96 में अपने पारित आदेश दिनांक 29.03.1997 में आवेदक राधे चौधरी एवं अन्य ,साकिन अनवल, थाना कोपा, जिला सारण, को ग्राम पियनो, थाना संख्या 200, खाता संख्या 114, खेसरा संख्या 1940 (रकबा 0-18-2), खेसरा संख्या 1397 (रकबा 0-7-3) का रैयत धोषित करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

अंचल अधिकारी,जलालपुर के पत्रांक 461, दिनांक 10.122005 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि साकिन पियनों, थाना संख्या 200 के अंतर्गत खेसरा संख्या1940,1397,1546 एवं 1796 सत्यदेव चौधरी,कमलेश चौधरी अवधेश चौधरी अयोध्यानाथ चौधरी एवं गंगजली देवी पति रामबचन के दखल कब्जे में है, जिसे सभी सह-हिस्सेदार आपसी बंटवारा कर जोत आबाद करते है। गंगजली देवी स्वयं खेती न कराकर अपने उपरोक्त हिस्सेदारों से बटाई प्राप्त करती है। उक्त सभी खेसरा सीलिंग में अधिग्रहित है। खेसरा

संख्या 1546 एवं 1397 की बन्दोबस्ती जगलाल बैठा एवं वीर बहादूर बैठा वल्दान हाकिम बैठा एवं मोहन बैठा वल्द राम किशुन बैठा के साथ पूर्व में ही की गई है।

माननीय राजस्व पर्षद,बिहार,पटना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.1997 एवं अंचल अधिकारी जलालपुर के पत्रांक 461 दिनांक 10.12.05 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आलोक में **आवेदक राधे चौधरी एवं अन्य के वारीसान सत्यदेव चौधरी, कमलेश चौधरी, अवधेश चौधरी, अयोध्या नाथ चौधरी और गंगजली देवी पति राम वचन साकिन अनवल, थाना कोपा, जिला-सारण को ग्राम पियनो, थाना संख्या 200, खाता संख्या 114, खेसरा संख्या 1940 (रकबा 0-18-2), एवं इसी खाता के खेसरा संख्या 1397 (रकबा 0-7-3) का रैयत घोषित किया जाता है।** चूंकि माननीय राजस्व पर्षद, बिहार,पटना के द्वारा पारित आदेश में अन्य दो खेसरा संख्या 1546 एवं खेसरा संख्या 1796 के संबंध में कोई भी आदेश अंकित नहीं है, इसलिए इससे संबंधित दावा पर विचार करना एवं किसी प्रकार का आदेश पारित करना संभव नहीं है।

बिहार भूहदबंदी अधिनियम 1961 की धारा 22 के अंतर्गत दाखिल आवेदन के विचाराधीन रहते इस अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत पर्चा निर्गत करना विधि सम्मत नहीं था। अतः खेसरा संख्या 1397 के निर्गत पर्चा को रद्द किया जाता है।

अपर समाहर्ता,सारण,छपरा को निर्देश है कि उक्त आदेश का अनुपालन करवाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

15/9/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

15/9/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 4975 /न्या0, दिनांक 24.9.15

प्रतिलिपिः- अपर समाहर्ता,सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- अंचल अधिकारी,जलालपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,एन0ई0सी0,सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण,छपरा

24/9/15